

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्काक सिड्डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 33/ दिनांक 12/11/2020

पार्थी अविनाश इन्डिया डी डिवेलपर्स

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20813/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9063/ 2155, 2156

दिनांक 12/11/2020 को जमा करा दी है ।

13/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

637288017

P.No: 17 ई 60 चौपालकी  
इंजिनियरिंग बोर्ड

जी+1  
आवासीय